

104

न्यायालय श्री मान् सदस्य महोदय, म०प्र० राजसव मण्डल ग्वालिंयर,



1-श्री रामप्रसाद पटेल तनय बूढ़ी प्रसाद पटेल,
कोमवती
2-श्रीमती कोमवती पत्नी बूढ़ीप्रसाद पटेल,
दोनों निवासी ग्राम मेड़ियारास, पो०मेड़ियारास तह०अनूपपुर
जिला-अनूपपुर म०प्र०, ---आवे०गण,

R 2043-II 105

बनाम

श्री रोहित पांडे
अभिषेक साहू
च ३०५५

1-श्रीवशीरण तनय सुखनंदन पटेल - ~~शुद्ध~~
2-मगदीश पटेल तनय शमरथ पटेल
3-मोहन पटेल तनय शमरथ पटेल,
4-नानबाई पुत्री शमरथ पटेल
5-दुसर्मा तथा पुत्री शमरथ पटेल,

अना०गण-1 ता० नि०ग्राम
मेड़ियारास तह०अनूपपुर जिला-
अनूपपुर, म०प्र०,
नि०ग्राम कसा,
नि०अनूपपुर बसती तह०अनूपपुर जिला-अनूप-
पुर म०प्र०, ---अनावे०गण,

३-29-11-05
[Signature]
29-11-05

निगराना निवल आदेश श्री अपर कमिश्नर रीवा
संभाग रोवा दिनांक 21-11-05 बापत् प्रकरण नं०-
800/अपील/01-02,

अंतर्गत धारा-50 म०प्र०भू०रा०सो०हता-1

प्रकरण के तदर्थ में तथ्य

अंतरण बावजू आवेदकगण तहसीलदार अनूपपुर के यहां आवेदन रिकयाथा,
जिसका आधार यह था कि आवेदक के पिता व पीत बूढ़ी प्रसाद को असा
पूर्व विवाहित भूमियां हुये आपसी विस्साहट में प्राप्त हुयी थी, परन्तु
तहसीलदार अनूपपुर ने आवेदकगण का नामांतरण आवेदन पत्र यह मानकर
छोड़ कर रिकया कि प्रकरण में प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू होता है,
और प्रकरण बटवारा का न होकर नामांतरण का है, लिहाजा तहसीलदार
आदेश के निवृद्ध अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के न्यायालय में दापर
की गयी, जिस पर 19-7-02 को आवे०गण की अपील स्वीकार करते हुये
प्रकरण को असा...


[Handwritten mark]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनरीक्षण 2043/तीन/2005

जिला-अनुपपूर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
16/4/18	<p>आवेदक अभिभाषक के.के.द्विवेदी एवं अनावेदक अभिभाषक प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित उन्होंने तर्क दिया कि उभय पक्षों के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है।</p> <p>अतः उभय पक्षों के मध्य राजीनामा होने से प्रकरण समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p> सदस्य</p>	